बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

अ0स0 :–3/अ0 प्र0–1–10/2011 12 /पटना, दिनांक :– 26.2.2020

श्री प्रहलाद कुमार सिन्हा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन वर्ष 2011–12 में लखीसराय सदर प्रखंड के साविकपुर पंचायत लोदियाग्राम में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत श्री रामाकांत सिंह के घर के पास पुल निर्माण में कार्य में अनियमितता की जाँच कार्यपालक अभियंता, निगरानी प्रमंडल–3 (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी। जाँच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित पाये जाने आलोक में श्री सिन्हा के विरूद्ध स्थल पर पूर्व निर्मित पुल को तोड़ने का प्राक्कलन में प्रावधान होने के बावजूद इस मद् को परिणाम विपत्र में शामिल नहीं करने, बिना आदेश निर्गत किये तोड़वाने, तोड़ी गयी सामग्रियों को स्थल लेखा में नहीं लेने तथा बिना एकरारनामा एवं कार्यादेश के संवेदक से कार्य प्रारंभ करा दिये जाने के आरोपों पर प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1704 अनु0 दिनांक 29.04.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सिन्हा के पत्रांक शून्य दिनांक 26.06.2013 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए अधिसूचना ज्ञापांक–1852 अनु0 दिनांक 25.06.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त तदेन अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री रवीन्द्र रजक, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. श्री धर्मदेव चौधरी, तदेन अभियंता प्रमुख–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 29 दिनांक 16.03.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिन्हा के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि एकल निविदाकार होने के बावजूद पूर्व निर्मित पुल को तोड़ने के पूर्व इस निमित्त आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित था, किन्तु आदेश निर्गत किये बिना पूर्व निर्मित पुल को तोड़वाना अनाधिकार एवं अनियमित है, तोड़े गये पुल से प्राप्त कामलायक ईटों को Surplus A/C में लिया गया, किन्तु उसे मापी पुस्त में अंकित नहीं किया गया एवं प्रश्नगत् कार्य का एकरारनामा एवं कार्य प्रारंभ की तिथि से पूर्व ही संवेदक से कार्य प्रारंभ करा दिया गया। अतएव संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–729 अनु0 दिनांक–20.03.2019 द्वारा असहमति के बिन्दु पर श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

4. श्री सिन्हा के पत्रांक शून्य दिनांक 20.05.2019 द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग को समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि श्री सिन्हा द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में यह कहा गया है कि कार्यहित में बिना पूर्व कार्यादेश के पुल तोड़ा गया तथा कार्यहित में एकरारनामा एवं कार्यादेश के पूर्व संवेदक से कार्य प्रारंभ करा दिया गया। इसे इनके द्वारा प्रक्रियात्मक अनियमितता कहते हुए इसे प्रचलन में बताया गया। इस प्रकार श्री सिन्हा द्वारा अपने विरूद्ध गठित आरोप को स्वीकार किया गया। अतएव श्री सिन्हा से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप उस अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम

43(क) के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 05 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् उक्त विनिश्चित प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

5. उक्त आलोक में श्री प्रहलाद कुमार सिन्हा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रश्नगत् मामले में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 05 (पाँच) प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

24/02/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–10/2011 628 /पटना/दिनांकः– 26.2.2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:– 3/अ०प्र०–1–10/2011 628 /पटना/दिनांकः– 26.2.2020

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, मुंगेर/पटना/कार्यपालक अभिंयता, कार्य प्रमंडल, लखीसराय/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पालीगंज/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री प्रहलाद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज, पत्राचार का पता :– सुजापुर, पोस्ट–नाथनगर, जिला–भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–10/2011 628 /पटना/दिनांकः– 26.2.2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर (सचिव कोषांग), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

24/02/2020

अभियंता प्रमुख